



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 304

दर्ज तिथि:-12.09.2022

1. नरींगाराम पुत्र वीराराम
जाति जाट निवासी बलदेव नगर पीपराली तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र कुम्भाराम
2. नीम्बाराम पुत्र कुम्भाराम
3. गोर्धन पुत्र कुम्भाराम
4. खेताराम पुत्र चैनाराम
5. भैराराम पुत्र चैनाराम
6. राहूराम पुत्र जेताराम
7. नगाराम पुत्र जेताराम
8. नैनाराम पुत्र जेताराम
9. वगताराम पुत्र जेताराम
10. भीखाराम पुत्र केसराराम
11. रूखमणाराम पुत्र मोटाराम
12. श्रवण पुत्र मोटाराम (प्र.सं.11 व 12 नाबालिग जरिये कुदरती वली प्र.सं. 13)
13. हरखू बेवा मोटाराम
14. भैराराम पुत्र घमंडाराम
जाति जाट निवासी बलदेव नगर पीपराली तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

15. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुढामालानी।
16. तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्णोई

प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955



—:निर्णय:—

निर्णय दिनांक:-22.05.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 32/6.3940 है0 वाके ग्राम बलदेव नगर पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते हैं। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ट अ में लाल रंग से दर्शित रकबे का तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।
2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय होकर जबाब दावा में प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आराजी पर वादीगण व प्रतिवादीगण ने मौके पर वहामी बंटवारा कर रखा है एवं मौके पर लंबे समय से काबिज काश्त है। अतः मौके पर वहामी बंटवारा तथा मौका कब्जा अनुसार के बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस अनुसार बंटवारा किया जावे। प्रकरण में अधिवक्तागण उभयपक्षकारों के मध्य विभाजन पर बहस सुनी गई। अभिभाषक उभयपक्षकारान द्वारा दौरान-ए-बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 04.10.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुडामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/437 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुडामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/437 दिनांक 21.03.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम-1955 के नियम-18 लगायत 21 के

अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार है:-

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
<p>21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. - The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.</p>	<p>प्रकरण में दिनांक 17.02.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>
<p>प्रकरण में पक्षकारों को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>	<p>1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 479-493 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 17.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 479-493 दिनांक 07.02.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 17.02.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपोर्ट तैयार की गई।</p>

3. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात जमाबंदी संवत् 2074-2077 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 32/6.3940 है0 वाके ग्राम बलदेव नगर पीपराली तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन-प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा-ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

4. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ-साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। स्थाई निषेधाज्ञा हेतु तीन महत्वपूर्ण बिन्दु है जिन पर विश्लेषण इस प्रकार है:-

प्रथम- स्वामित्व एवं कब्जा:- प्रकरण के बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह-काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। अतः अपने खाते की आराजी का संबंधित काश्तकार कब्जा व स्वामित्व रखते हुये खातेदार है। अतः प्रथम शर्त पुष्ट होती है।

द्वितीय- सुविधा का सन्तुलन:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खाते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद में तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये है। जब खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है तो बेशक सुविधा का सन्तुलन भी एकल खातेदार के पक्ष में स्पष्ट है।

तृतीय- अपूरणीय क्षति:- प्रकरण में बाद तकसीम पृथक-पृथक खातों का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में किया जावेगा। बाद तकसीम हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित होते हैं। प्रकरण में भी इसी प्रकार हाल सह काश्तकार पृथक-पृथक खाते में दर्ज होकर खाते की आराजी के एकल खातेदार घोषित किये गये हैं। खातेदार एकल खातेदार है एवं किसी अन्य व्यक्ति का खातेदार की आराजी पर कोई अधिकार नहीं है। अगर एक खातेदार को कोई दीगर व्यक्ति खातेदारी आराजी से बेदखल करने का प्रयास करे या आमद-रफ्त में मजाहमत उत्पन्न करें तो बेशक खातेदार को अपूरणीय क्षति स्पष्ट है।

5. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक-पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफ्त में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 32/6.3940 है0 वाके ग्राम बलदेव नगर पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड

में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नरींगाराम पुत्र वीराराम हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार	बलदेवनगर	32	0.6286	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6286 है0				
नगाराम पुत्र जैताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह नेनाराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट रहन-एसबीआई गुड़ामालानी राहूराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह वगताराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह खेताराम पुत्र चेनाराम हि0 1/10 जाति जाट सा0 देह भेराराम पुत्र चेनाराम हि0 1/10 जाति जाट सा0 देह	बलदेवनगर	32	2.1313	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1313 है0				
आसू पत्नी कुंभाराम हि0 4263 / 36341 गोरधन पुत्र कुंभाराम हि0 4263 / 36341 नींबाराम पुत्र कुंभाराम हि0 4263 / 36341 भेराराम पुत्र घमंडाराम हि0 2240 / 36341 जाति जाट सा0 देह भीखाराम पुत्र केसराराम हि0 10656 / 36341 जाति जाट रूखमण पुत्र मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह रहन-एसबीआई गुड़ा श्रवण पुत्र मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह रहन-एसबीआई गुड़ा हरखू पत्नी मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-एसबीआई गुड़ामालानी	बलदेवनगर	32	3.6341	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.6341 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन

कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काशत में
रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री
तैयार की जाकर तहसीलदार गुडामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम
जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं
मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुडामालानी-बाड़मेर





न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2022 / 304

दर्ज तिथि:-12.09.2022

1. नरींगाराम पुत्र वीराराम
जाति जाट निवासी बलदेव नगर पीपराली तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....वादी

बनाम

1. आसुराम पुत्र कुम्भाराम
2. नीम्बाराम पुत्र कुम्भाराम
3. गोर्धन पुत्र कुम्भाराम
4. खेताराम पुत्र चैनाराम
5. भैराराम पुत्र चैनाराम
6. राहूराम पुत्र जेताराम
7. नगाराम पुत्र जेताराम
8. नैनाराम पुत्र जेताराम
9. वगताराम पुत्र जेताराम
10. भीखाराम पुत्र केसराराम
11. रूखमणाराम पुत्र मोटाराम
12. श्रवण पुत्र मोटाराम (प्र.सं.11 व 12 नाबालिग जरिये कुदरती वली प्र.सं. 13)
13. हरखू बेवा मोटाराम
14. भैराराम पुत्र घमंडाराम

जाति जाट निवासी बलदेव नगर पीपराली तहसील गुढामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादीगण

15. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा गुढामालानी।
16. तहसीलदार गुढामालानी

.....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:- श्री जगदीश विश्णोई

प्रतिवादीगण:- श्री चिमनसिंह

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा- 53,188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

-:पर्चा डिक्री:-

दावा वादी अन्तर्गत धारा-88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 32/6.3940 है0 वाके ग्राम बलदेव नगर पीपराली तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रजात रिपोर्ट मय नक्शा-ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग-अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुडामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
नरींगाराम पुत्र वीराराम हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार	बलदेवनगर	32	0.6286	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 0.6286 है0				
नगाराम पुत्र जैताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह नेनाराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट रहन-एसबीआई गुडामालानी राहूराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह वगताराम पुत्र जेताराम हि0 1/5 जाति जाट सा0 देह खेताराम पुत्र चेनाराम हि0 1/10 जाति जाट सा0 देह भेराराम पुत्र चेनाराम हि0 1/10 जाति जाट सा0 देह	बलदेवनगर	32	2.1313	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.1313 है0				
आसू पत्नी कुंभाराम हि0 4263 / 36341 गोरधन पुत्र कुंभाराम हि0 4263 / 36341 नींबाराम पुत्र कुंभाराम हि0 4263 / 36341 भेराराम पुत्र घमंडाराम हि0 2240 / 36341 जाति जाट सा0 देह भीखाराम पुत्र केसराराम हि0 10656 / 36341 जाति जाट रूखमण पुत्र मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह रहन-एसबीआई गुड़ा श्रवण पुत्र मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह रहन-एसबीआई गुड़ा हरखू पत्नी मोटाराम हि0 3552 / 36341 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन-एसबीआई गुडामालानी	बलदेवनगर	32	3.6341	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 3.6341 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने-अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक-पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शकल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

यह डिक्री आज दिनांक 22.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाडमेर

